

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 41/14

संस्थापन दिनांक:-25/01/14

फाईलिंग नं. 233504004032014

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

लक्ष्मण पिता कालूराम
उम्र 62 वर्ष, निवासी खानापुर,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 23.08.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323, 336, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 05.01.2014 को 09:30 बजे थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत ग्राम खानापुर सार्वजनिक स्थान पर या उसके समीप फरियादी देवीराम को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी देवीराम को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से पत्थर फेंककर मानव जीवन या वैयक्ति क्षेम संकटापन्न किया तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त एवं फरियादी एक ही परिवार के हैं।

3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 05.01.2014 को फरियादी सुबह 09:30 बजे अभियुक्त उसके घर कोठा के बाजू में बाउंझी बनाने का कालम खींच रहा था जिसे फरियादी ने दिनांक 04.01.2014 को मना किया था। जिस बात पर अभियुक्त लक्ष्मण ने पंचायत बैठायी थी जिसमें फरियादी ने कहा था कि पटवारी से नपवा लो यदि तुम्हारी जगह निकलेगी तो छोड़ दूंगा इसी बात पर से अभियुक्त ने उसे सिर पर पत्थर से मारा जिससे उसे खून निकला। अभियुक्त ने उसे मादरचोद मां बहन की गंदी गंदी गाली दी। अभियुक्त ने उसे बाउंझी बनाने से रोकने पर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के

आधार पर थाना आमला में अपराध क्र. 11/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक व स्थान पर फरियादी देवीराम को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक व स्थान पर फरियादी देवीराम को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक व स्थान पर फरियादी को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से पत्थर फेंककर मानव जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया ?
4. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
5. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क्र. 01 एवं 04 का निराकरण

6 देवीराम (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्त ने उसे मादरचोद बहनचोद की गालियां दी थी। साक्षी ने जो शब्द न्यायालय में बताये हैं वे शब्द ग्रामीण परिवेश में सामान्यतः बिना उनके शाब्दिक अर्थ के मात्र क्रोध प्रकट करने के लिए उच्चारित किये जाते हैं जिन्हें भले ही नैतिकता के विरुद्ध माना जाता हो किंतु अभियुक्त एवं फरियादी के ग्रामीण

परिवेश को देखते हुए धारा 294 भा.दं.सं. के अर्थ में अश्लील नहीं माना जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 देवीराम (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्त कुल्हाड़ी लेकर उसके उपर दौड़ा था और बोला था कि जान से मार दूंगा। अभियोजन कथा अनुसार अभियुक्त ने फरियादी से यह कहा कि मुझे बाउंड़ी बनाने से नहीं रोकना नहीं तो मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा। जबकि फरियादी ने न्यायालयीन परीक्षण में कुल्हाड़ी लेकर उसे जान से मारने की धमकी दिया जाना प्रकट किया है। इस संबंध में साक्षी ने अभियोजन कथा अनुरूप कथन नहीं किये हैं। अन्य साक्षीगण लोकेश (अ.सा.-2, ओमनारायण सोनी (अ.सा.-3) एवं रामप्रसाद कुंबी (अ.सा.-4) ने अपने कथनों में इस संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। साथ ही अभियुक्त द्वारा धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। अतः मारपीट के समय दी गई धौंस मात्र से धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 02 एवं 03 का निराकरण

8 उपरोक्त विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने के कारण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

9 देवीराम (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त से बाउंड़ीवाल बनाने के उपर से विवाद होना बताया है। तत्पश्चात अभियुक्त द्वारा गांव के पंचों को बुलाये जाने पर पंचों के मौके पर आने के बाद जब सभी लोगों ने अभियुक्त से यह कहा कि दीवान को बुलवा लो झंझट मत करो, जमीन नपवा लो तो अभियुक्त उसके उपर कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा था और जब सभी लोग रोड पर आ गये, वहां पर अभियुक्त ने एक पत्थर उठाकर उसके सिर के बीख में मार दिया जिससे खून निकलने लगा था। इसी साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि उसके साथ हुई घटना महेंद्र, लोकेश, ओमनारायण, नत्थू और अन्य गांव वालों ने देखी थी तथा उसने घटना की रिपोर्ट थाने में की थी। इसके बाद उसका मेडिकल मुलाहिजा हुआ था। एक्सरे भी हुआ था। पुलिस ने उसके सामने नक्शा मौका तैयार किया था।

10 लोकेश (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में फरियादी

देवीराम (अ.सा.-1) के कथनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि अभियुक्त लक्ष्मण ने देवीराम को पत्थर से सिर पर मारा था। सिर से खून भी निकल रहा था। साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि मकान की जगह को लेकर अभियुक्त ने देवीराम को मारा था। इसके बाद वह देवीराम को लेकर पुलिस थाना आमला आया और अस्पताल लेकर गया था।

11 ओमनारायण सोनी (अ.सा.-3) एवं रामप्रसाद कुंबी (अ.सा.-4) ने उनके न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वे घटना के समय मौके पर थे। अभियुक्त लक्ष्मण अपने मकान के आसपास बाउंड्री बना रहा था, तभी देवीराम ने उससे कहा कि अभियुक्त मेरी जमीन पर बाउंड्री बना रहा है इस बात पर से हम लोगों ने दोनों को यह कहा था कि जमीन की पटवारी से नपाई करवा लो। आगे यह साक्षी ने यह प्रकट किया है कि बहुत अधिक भीड़ होने के कारण उसने घटना नहीं देख पाया था लेकिन उन्होंने देवीराम के सिर पर चोट देखी थी जिससे खून निकल रहा था।

12 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-6) ने अपने न्यायालयीन कथन में दिनांक 05.01.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत देवीराम का परीक्षण किये जाने पर उसके सिर के पीछे तरफ पर 4 गुणा 1 गुणा 2 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव पाया था और आहत को आयी चोट के लिए एक्सरे की सलाह भी दी थी। इसी साक्षी ने आहत को आयी चोट फ्रेश होकर सख्त एवं बोथरे हथियार से आना संभावित बताते हुए चिकित्सकीय रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-5) पर अपने हस्ताक्षरों को भी प्रमाणित किये हैं। उक्त साक्षी तथा साक्षी देवीराम (अ.सा.-1), लोकेश (अ.सा.-2), ओमनारायण सोनी (अ.सा.-3) एवं रामप्रसाद कुंबी (अ.सा.-4) एवं चिकित्सकीय साक्ष्य से घटना के ठीक पश्चात आहत के सिर पर चोट आने का तथ्य पुष्ट होता है।

13 बिसनसिंह (अ.सा.-5) ने दिनांक 05.01.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 11/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उक्त दिनांक को ही नक्शा मौका (प्रदर्श प्री-2) एवं दिनांक 09.01.2014 को अभियुक्त लक्ष्मण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-5) तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उस पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी किये हैं। उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं जिसमें कोई भी विसंगति साक्षी के कथनों में दर्शित नहीं होती है एवं उसके कथनों से उसके द्वारा की गयी कार्यवाही प्रमाणित होती है।

14 **बचाव अधिवक्ता का यह तर्क है कि** स्वतंत्र साक्षीगण ने अपने समक्ष घटना घटित होने से इनकार किया है। अतः एकमात्र आहत साक्षी के कथनों के आधार पर अभियोजन मामले को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने

का तर्क प्रस्तुत किया है।

15 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में साक्षी देवीराम (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह बताया है कि घटना से पूर्व अभियुक्त उसके बैल कोठा के बाजू में सीमांकन कर रहे थे और बाउंड्रीवाल का गढ़वा खोद रहे थे इसके लिए मैंने अभियुक्त को मना किया था और कहा था कि दीवान जी को बुलवा लो जमीन नपवा लो तो अभियुक्त मान गया था। इसी साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने गांव के पंचों को जोड़ा था। सभी लोग मौके पर आये थे। वहां पर सभी लोगों ने अभियुक्त से कहा था कि दीवान को बुलवा लो झंझट मत करो तो अभियुक्त कुल्हाड़ी लेकर उसके उपर दौड़ा तब गांव के लोगों ने कुल्हाड़ी छुड़ाकर रख दी। इसी साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि गांव के पटेल ने यह बोला था कि दीवान जी को बुलवा जो मैं खर्चा दे दूंगा और फिर सभी लोग रोड पर आ गये। इसके बाद अभियुक्त ने एक पत्थर उठाकर उसके सिर के बीच में मार दिया।

16 लोकेश (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त लक्ष्मण के द्वारा देवीराम को पत्थर से सिर पर मारा जाना तथा देवीराम को पुलिस थाना आमला एवं अस्पताल लेकर आना बताया है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 3 में यह बताया है कि वह घटना होने के बाद मौके पर पहुंचा था तो उसे मालूम हुआ था कि मकान के विवाद पर से झगड़ा हुआ था। पैरा क्र. 4 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि उसे अस्पताल में यह पता चला था कि आरोपी के सिर पर चोट लगी है। पैरा क्र. 4 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि उसने अभियुक्त लक्ष्मण को पत्थर उठाते देखा था। इस प्रकार जहां एक ओर साक्षी स्वयं का विवाद शांत होने के बाद मौके पर पहुंचना बताया है वहीं तुरंत पश्चात अपने कथनों में अभियुक्त द्वारा पत्थर उठाना देखना बताया है। ऐसी स्थिति में जबकि साक्षी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है तब साक्षी के द्वारा घटना देखा जाना नहीं माना जा सकता परंतु उक्त साक्षी फरियादी देवीराम (अ.सा.-1) को घटना के तत्काल पश्चात अस्पताल लेकर आया था, उसके सिर पर चोट देखी थी, विवाद के बारे में साक्षी को पता था। तब ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथनों से देवीराम (अ.सा.-1) के कथनों का आंशिक समर्थन होता है।

17 ओम नारायण सोनी (अ.सा.-3) एवं रामप्रसाद कुंबी (अ.सा.-4) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वे घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद थे परंतु बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण वे घटना नहीं देख पाये थे परंतु उक्त साक्षीगण ने यह भी बताया है कि उन्होंने देवीराम के सिर पर चोट देखी थी। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षियों ने अपने समक्ष अभियुक्त द्वारा फरियादी की मारपीट किये जाने से इनकार किया है। साथ ही उक्त साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि वे घटना घटित होने के बाद मौके पर पहुंचे थे।

इस प्रकार इन साक्षियों के कथनों से यह दर्शित होता है कि उन्होंने अपने समक्ष घटना घटित होते नहीं देखी थी परंतु घटना के तत्काल पश्चात मौके पर आना और आहत के सिर पर चोट देखा जाना इन साक्षीगण के कथनों से दर्शित होता है। इस प्रकार इन साक्षीगण के कथनों से आहत/फरियादी देवीराम के कथनों का आंशिक समर्थन होता है।

18 साक्षी देवीराम (अ.सा.-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 2 में बचाव के इस सुझाव को सही होना बताया है कि सारा विवाद बाउंड्रीवाल को लेकर है तथा मूल विवाद जमीन को लेकर ही है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 5 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि पत्थर अभियुक्त कहां से लेकर आया था उसे नहीं मालूम परंतु स्वतः मैं उक्त साक्षी ने यह कहा है कि अभियुक्त ने उसे पंचों के सामने पत्थर मारा था। उक्त पैरा में ही साक्षी से यह प्रश्न किये जाने पर कि क्या उसने अभियुक्त के हाथ में पत्थर देखा था तो उत्तर में साक्षी का कहना है कि उसने अभियुक्त को पत्थर मारते हुए देखा था। पैरा क. 7 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि उसे किस पत्थर से चोट लगी थी वह देख नहीं पाया था। स्वतः मैं साक्षी ने कहा है कि अभियुक्त ने उसे जो पत्थर मारा था वो पत्थर उसे लगा था। इसी पैरा में साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को गलत होना बताया है कि अभियुक्त के साथ उसने मारपीट की थी और उसने अभियुक्त को चोट पहुंचाया था। साथ ही इस सुझाव को भी गलत बताया है कि अभियुक्त के साथ मारपीट करते समय वह गिर गया था जिससे उसके सिर पर चोट लगी थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 7 में ही उक्त साक्षी ने अभियुक्त द्वारा कुल्हाड़ी से विवाद किये जाने की बात पुलिस को बता देना बताया है। साथ ही उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि कुल्हाड़ी वाली घटना के 20 मिनट बाद पत्थर वाला विवाद हुआ था। साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को भी सही बताया है कि उसने कुल्हाड़ी वाले विवाद की पुलिस को कोई सूचना नहीं दी थी। स्वतः कहा है कि पंचों के सामने बात चल रही थी।

19 **बचाव अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि** अभियुक्त की फरियादी से जमीनी विवाद को लेकर पूर्व से रंजिश है। ऐसी स्थिति में आहत के कथनों पर विश्वास किया जाना सुरक्षित नहीं है।

20 बचाव अधिवक्ता के उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में फरियादी देवीराम (अ.सा.-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 2 में यह सही होना बताया है कि सारा विवाद बाउंड्रीवाल को लेकर है और मूल विवाद जमीन को लेकर भी है। इस प्रकार स्वयं फरियादी के कथनों से उभयपक्ष के मध्य पूर्व से मन मुटाव होना दर्शित होता है परंतु जहां दो लोगों के बीच मन मुटाव या रंजिश झूठा फंसाये जाने का आधार हो सकती है, वहीं अपराध कारित किये जाने का हेतुक भी हो सकता है। देवीराम (अ.सा.-1) अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा पत्थर से मारपीट किये जाने के तथ्य पर पूर्णतः स्थिर है। अतः जहां पर प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है वहां पर मात्र संभावना साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकती है।

21 **बचाव अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि** अभियुक्त से पत्थर से जप्ती नहीं की गयी है जिससे अभियोजन कथा संदेहास्पद हो जाती है। बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यद्यपि यह सही है कि प्रकरण में अभियुक्त से पत्थर की जप्ती नहीं की गयी है परंतु न्यायालय के मत में जप्ती की कार्यवाही अपराधिक कृत्य घटित होने के उपरांत विवेचना कार्यवाही का भाग है तथा उपहति कारित किये जाने वाले अस्त्र की बरामदगी होने या न होने से कारित किये गये कृत्यों के साबित या न साबित होने पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध हाकमसिंह (2005) 7 एस.सी.सी. 408** अवलोकनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि अस्त्र की बरामदगी होती तो वह केवल पुष्टिकारक साक्ष्य होता। अतः अनुसंधान की यह कमी अभियोजन के लिए घातक नहीं है।

22 अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 05.01.2014 की सुबह 09:30 बजे की है। फरियादी देवीराम (अ.सा.-1) के द्वारा घटना की रिपोर्ट उक्त दिनांक को ही घटना के तत्काल पश्चात 09:50 बजे थाने में रिपोर्ट की गयी। देवीराम ने अभियोजन कथा अनुरूप न्यायालय में कथन किये हैं। यद्यपि कुल्हाड़ी से मारपीट की जाने वाली बात प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं साक्षी के पुलिस कथन में लेख नहीं है। उक्त तथ्य के संबंध में साक्षी ने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में प्रकट किया है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि जब अभियुक्त ने उसे पत्थर मारा था उसके करीब 20 मिनट पूर्व अभियुक्त द्वारा कुल्हाड़ी उठाकर उसके साथ विवाद किया गया था। साथ ही साक्षी ने यह भी कहा है कि उपरोक्त समस्त घटना पंचों के समक्ष हुई थी। यद्यपि साक्षी ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में इस नवीन तथ्य का समावेश किया है परंतु उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में किये गये कथनों से उक्त नवीन तथ्य का स्पष्टीकरण भी दर्शित होता है। अतः अपने मुख्य परीक्षण में साक्षी के द्वारा नवीन तथ्य का समावेश किये जाने मात्र से उसकी संपूर्ण साक्ष्य संदेहास्पद नहीं हो जाती है। साक्षी देवीराम अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त द्वारा पत्थर से मारपीट किये जाने के तथ्य पर पूर्णतः स्थिर है। साक्षी के कथनों का आंशिक समर्थन लोकेश (अ.सा.-2), ओमनारायण सोनी (अ.सा.-3) एवं रामप्रसाद कुंबी (अ.सा.-4) के कथनों से भी होता है। साथ ही उक्त साक्षी के द्वारा बताये गये स्थान पर आयी चोट चिकित्सकीय साक्ष्य से संपुष्ट है। घटना के तत्काल पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करायी गयी है। ऐसी स्थिति में साक्षी के द्वारा मिथ्या कहानी गढ़ने की लेश मात्र संभावना भी परिलक्षित नहीं होती है। अतः अभियुक्त के द्वारा फरियादी को पत्थर से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित करने का अपराध प्रमाणित पाया जाता है।

23 प्रकरण में की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियुक्त द्वारा फरियादी/आहत देवीराम को पत्थर से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की जाना

प्रमाणित होता है परंतु उपलब्ध साक्ष्य से यह दर्शित नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा पत्थर फेंककर उपेक्षा या उतावलेपन से कोई कृत्य किया गया हो। अतः अभियुक्त द्वारा 336 भा.दं.सं. का अपराध कारित किया जाना प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

24 फरियादी देवीराम (अ.सा.-1) द्वारा अभियुक्त को कोई गंभीर या अचानक प्रकोपन दिया गया हो ऐसे तथ्य अभिलेख पर नहीं है। अतः अभियुक्त ने फरियादी को उक्त उपहति स्वैच्छया कारित की यह भी घटना क्रम से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 5 का निराकरण

25 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी देवीराम को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया तथा उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से पत्थर फेंककर मानव जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया परंतु अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत/फरियादी देवीराम को पत्थर से मारकर स्वैच्छया उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त लक्ष्मण को धारा 294, 336, 506 भाग-दो भा.दं.सं. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है तथा अभियुक्त को धारा 323 भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

26 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

27 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया

जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

28 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ मारपीट कर उसे उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

29 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त एवं फरियादी एक ही परिवार के हैं एवं घटना में फरियादी को साधारण प्रकृति की चोट आना प्रमाणित हुई है। अभियुक्त के द्वारा विचारण में निरंतर सहयोग किया गया है। अभियुक्त 64 वर्ष की आयु का होकर वृद्ध व्यक्ति है। अतः अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त को केवल अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्त को धारा 323 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1,000/-रुपये (रुपये एक हजार) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उसे 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

30 धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की संपूर्ण राशि आहत देवीराम पिता हरिराम निवासी खानापुर तहसील आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

31 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

32 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला,
बैतूल (म.प्र.)

